संख्या : रैव0–बी0–एफ0 (10)-3..../....

हिमाचल प्रदेश सरकार

राजस्व विभाग

प्रेषक

वित्तायुक्त एवं सचिव (राजस्व),

हिमाचल प्रदेश सरकार।

प्रेषित

श्री बी0जी0 पुरी,
मै0 हिमाचल ऐनरजी प्रा0लि0
1/21, आसिफ अली रोड, नई दिल्ली-02

दिनांक 20/10/03 शिमला–171002

विषय :– मै0 हिमाचल ऐनरजी प्रा0लि0 द्वारा औद्योगिक ईकाई स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान करने बारे।

महोदय,

उपरोक्त विषय पर मुझे उपायुक्त, सोलन के पत्र संख्या पेशी/11-2329/03-कसौली दिनांक 18-9-03 द्वारा प्राप्त आपके आवेदन प्रकरण के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश सरकार ने हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज एक्ट, 1972 की धारा 118 की उप–धारा 2 के खण्ड (एच) तथा हिमाचल प्रदेश टेनेन्सी एण्ड लैण्ड रिफोर्मज रूल्ज,1975 के नियम 38 ए के उप–नियम 3 के खण्ड (डी) के अर्न्तगत शक्तियों का प्रयोग करते हुये आपके पक्ष में भूमि खसरा नम्बर 132/70 रकवा तादादी 8-03 बीघा स्थित मौजा शेबला तहसील कसौली जिला सोलन में बिजली का सामान तैयार करने को औद्योगिक ईकाई स्थापित करने हेतु निम्नलिखित शर्तों पर भूमि क्रय करने की अनुमति प्रदान की जाती है :–

1. यह अनुमति इस पत्र के जारी होने से 180 दिन तक मान्य/वैध होगी।
2. भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये 2 वर्षों की अवधि के अन्दर किया जायेगा जिस प्रयोजन के लिये अनुमति दी गई है। यदि भूमि का प्रयोग उसी प्रयोजन के लिये निर्धारित अवधि के अन्दर नहीं किया गया तो उक्त भूमि सभी प्रकार से भारमुक्त होकर सरकार में निहित हो जायेगी।

2/–

3. जमाबन्दी की टिप्पणी खण्ड में लाल स्याही से इन्द्राज किया जाये कि क्रेता भविष्य में सरकार से किसी भी प्रकार से भूमि आबंटन /लीज/अनुदान के लिये कृषक की परिभाषा में नहीं आयेगा !

4. इस स्वीकृति के अन्तर्गत क्रय की गई भूमि का क्रेता कृषक कहलाने का अधिकारी नहीं होगा और ऐसा अकृषक व्यक्ति अकृषक ही रहेगा !

5. विक्रय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि की स्टैम्प शुल्क वर्तमान बाजारी कीमत पर क्रेता से वसूल की जायेगी !

भवदीय,

उप सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार !

पृष्ठांकन संख्या : यथोपरि दिनांक शिमला–2

[illegible] हिमाचल प्रदेश को उनके उक्त वर्णित पत्र के सन्दर्भ में आगामी आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है !

2. निदेशक, उद्योग विभाग, हिमाचल प्रदेश।

उप सचिव (राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार !

सं0:39.4/89–इण्ड(वाहन)–II–
हिमाचल प्रदेश सरकार,
निदेशालय उद्योग

—..—

दिनांक शिमला–1 16/01/04

सेवा में,

उप सचिव(राजस्व),
हिमाचल प्रदेश सरकार,
शिमला–171002.

विषयः मै0 हिमाचल ऐनरजी प्रा0 लिमिटिड द्वारा औद्योगिक इकाई स्थापित करने हेतु भूमि क्रय करने की अनुमति बारे।

महोदय,

आपके पत्र संख्या रैव–बी–एफ(10)–308/2003, दिनांक 7.1.2004 के संदर्भ में।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय द्वारा जारी अनिवार्यता प्रमाण पत्र संख्या 939, दिनांक 29.8.2003 में हिमाचल एनर्जी प्राईवेट लिमिटिड को इकाई स्थापित करने हेतु 8-03 बीघा की सिफारिश की गई थी तथा आपके पत्र सं0: रैव–बी–एफ(10)–308/2003, दिनांक 20.10.2003 द्वारा इकाई के पक्ष में 8–03बीघा निजि भूमि क्रय करने हेतु स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है। अब आपके पत्र सं0: रैव–बी–एफ(10)–308/2003, दिनांक 7.1.2004 के अनुसार उद्यमी खाता खतौनी नं0 उद्यमी खाता खतौनी नं0 132/70/2 के स्थान पर भूमि खाता खतौनी नं0 8/9, खसरा नं0 134/71/2 रकबा, तादादी 5–0बीघा स्थित मौजा सेवेला तहसील कसौली तबादला करना चाहता है। इस कार्यालय को इस सम्बन्ध मे कोई आपत्ति नही है । यदि खसरा नं0 132/70/2 के स्थान पर खसरा नं0 134/71/2, तादादी 5–0 बीघा भूमि क्रय की स्वीकृति दी जाती है बाकि शर्ते अनिवार्यता प्रमाण पत्र संख्या 939, दिनांक 29.8.2003 लागू मानी जायेगी।

भवदीय,

ह0

उप–निदेशक उद्योग(प्र0),
हिमाचल प्रदेश।